



कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना पथलगांव,
जिला- जशपुर (छ0ग0)

✉ pathlagaonics@gmail.com

— विज्ञप्ति —

परिशिष्ट-01

—: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना :-

क्र. / 255 / स्था.02 / आईसीडीएस / 2026-27

पथलगांव दिनांक 03.08.2026

—00—

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के आदेश क्रमांक/728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02-04-2008 एवं संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक/IT/830/2025-WCD HOD IT SETION IT नवा रायपुर, दिनांक 05.01.2026 के परिपालन में कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, परियोजना पथलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.) के अंतर्गत निम्नलिखित ग्राम पंचायत के ग्राम तथा नगर पंचायत के वार्ड में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पद हेतु योग्य महिला उम्मीदवारों से नीचे दर्शाये शर्तों के अधीन आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2026 से 17.08.2026 तक ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन करने हेतु नवीन पोर्टल <https://aww.e-bharti.in> में पंजीयन कर आवेदन करना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी हेतु उक्त पोर्टल में उपलब्ध “उपयोगकर्ता मेनुअल” की सहायता ली जा सकती है।

नोट :- ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात आवेदन के प्रिन्ट आउट सहित आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर निर्धारित समय सीमा में परियोजना कार्यालय पथलगांव में कार्यालयीन दिवस/समय पर जमा करना अनिवार्य है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पदों का विवरण

क्र.	सेक्टर का नाम	पद रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	नगर पंचायत/ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड/राजस्व ग्राम का नाम	रिक्त पद का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुखरापारा	खालपारा	ग्रा.पं. सुखरापारा	सुखरापारा	कार्यकर्ता	1 पद
2.	गाला	नीचेपारा	ग्रा.प. डुडूंगजोर	डुडूंगजोर	कार्यकर्ता	1 पद
3.	पथलगांव 02	सिपाहीपारा	नगर पंचायत पथलगांव	वार्ड क्रमांक 15 संत विनोबा भावे वार्ड	सहायिका	1 पद
4.	तिलडेगा	जूनापारा	ग्रा.पं. कुमेकेला	कुमेकेला	सहायिका	1 पद

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद के लिए निम्नानुसार अर्हताएँ/शर्तें :-

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी पद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को निर्धारित केन्द्र शासन द्वारा देय मानदेय एवं राज्य शासन द्वारा देय अतिरिक्त मानदेय प्रतिमाह दिया जावेगा।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे।
3. आवेदिका की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 44 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि तक की जावेगी।
4. 01 वर्ष या उससे अधिक समय की सेवा का अनुभव रखने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/संगठिका /सह संगठिका/सह-सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तक की छूट दी जावेगी। 01 वर्ष से कम अनुभव वाले आवेदिका को आयु सीमा में छूट की पात्रता नहीं होगी। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से पृथक किया

गया है उन्हें दोबारा सेवा में नहीं लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

5. आवेदिका उसी ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिए जिस ग्राम/नगरीय निकाय के वार्ड में पद रिक्त है। आवेदन पत्र के साथ निवास के सम्बंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा : –

(अ) उस ग्राम/नगरीय क्षेत्र वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो ऑनलाईन आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि अपलोड करेंगे।

अथवा

(ब) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र जिसमें ग्राम का नाम स्पष्ट उल्लेख हो तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड क्रमांक एवं वार्ड का नाम स्पष्ट उल्लेखित हो अपलोड करें।

टीप :- यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदिका के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास सम्बंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

6. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :-

(1) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु न्यूनतम कक्षा 12 वीं अथवा पूर्ववर्ती 11 वीं बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए।

क. उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड एवं इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर आठवीं उत्तीर्ण रखी जावेगी। सहायिका पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदन न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधि प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन वरिष्ठ अधिकारी से अनुमोदन प्राप्ति पश्चात विचार किया जावेगा।

ख. उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया में अत्यधिक विशेष पिछड़ी जातियों (कमार, अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर) को अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्दर ही शामिल किया गया है। अतः इन विशिष्ट पिछड़ी जनजाति वर्ग की आवेदिकाओं हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधि प्रावधान में छूट प्रदान करते हुए 12 वीं के स्थान पर 10 वी उत्तीर्ण निर्धारित किया गया है।

(2) आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु न्यूनतम कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

क. उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल किये जाने का प्रावधान है।

ख. आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु कक्षा 8 वीं में ग्रेडिंग वाला अंक सूची होने की स्थिति में सम्बंधित विद्यालय से जारी अंकों की गणना वाली अंक सूची जिसमें पूर्णांक/प्राप्तांक एवं प्राप्त प्रतिशत का सुस्पष्ट उल्लेख हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ताकि अंकों की गणना कर अंक प्रदान किया जा सके। अन्यथा अंकसूची में उल्लेखित ग्रेड के न्यूनतम प्रतिशत के बराबर अंक प्रदाय कर मूल्यांकन किया जावेगा।

7. अनुभवी कार्यकर्ता/ सहायिका/ सहा-सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा/परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने की स्थिति में सक्षम/वैध प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर अतिरिक्त अंक देय होगा।

8. अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में कक्षा आठवीं तक अध्ययन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक देय होगा।

9. यदि आवेदिका अनु.जाति/अजजा वर्ग की हो तो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर अतिरिक्त अंक देय होगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर प्रमाण पत्र की वैध अवधि तक ही मान्य की जावेगी।

10. परित्यक्ता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर ही अतिरिक्त अंक देय होगा :-
 - (अ) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरित अद्यतन परित्यक्ता प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर ही अंक देय होगा। (परित्यक्ता महिला के सम्बंध में न्यूनतम दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि ही मान्य होगी)
 - (ब) न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश :-
 - ✓ तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
 - ✓ यदि शासन से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
11. विधवा महिला होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करने पर अतिरिक्त अंक देय होगा।
12. पूर्व में कार्यरत अनुभवी सहायिका, सहसहायिका, परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी/बालवाड़ी/झूलाघर/अतिरिक्त पूरक पोषण आहार वितरण केन्द्र/शहरी विशेष पोषण आहार वितरण केन्द्र शिशु शिक्षा केन्द्र में एक वर्ष या उससे अधिक कार्य करने के अनुभव होने पर उनके कार्य के अनुभव हेतु उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र अपलोड करने पर नियमानुसार अतिरिक्त अंक दिया जाएगा।
13. आवेदिका द्वारा समस्त दस्तावेज अभिप्रमाणित/स्व प्रमाणित संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
14. गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण के संबंध में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को संबंधित ग्राम (सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना सर्वे वर्ष 2011)/नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्रों में प्रभावशील सूची से सक्षम अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी) द्वारा जारी गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करने पर निर्धारित अंक पात्रानुसार देय होगा।
15. दावा आपत्ति अवधि में नवीन दस्तावेज अथवा ऐसे कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदिका शर्तों को भली भांति पढ़कर आवेदन प्रस्तुत करें। सभी दस्तावेज आवेदन साथ संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
16. पृथक-पृथक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
17. आवेदन पत्र आमंत्रण दिनांक 03.08.2026 से दिनांक 17.08.2026 तक ऑनलाईन/कार्यालयीन समय तक प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन कर अनंतिम सूची पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड की जावेगी। जिस पर ऑनलाईन माध्यम से दावा-आपत्ति प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में किया जा सकेगा।
18. नियुक्ति पश्चात या प्रस्तुत आवेदन के छानबीन में कोई दस्तावेज कुट्टरचित, जाली अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध बिना कोई पूर्व सूचना के वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आवेदिका स्वतः जवाबदेय होंगे।

उपरोक्तानुसार आर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।



परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
पत्थलगांव जिला-जशपुर (छ0ग0)
पत्थलगांव, दिनांक 03.08.2026

पृ.क./255-ए/स्था. 02/आईसीडीएस/2026-27

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय, जिला-जशपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला-जशपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3. उपसंचालक, जनसम्पर्क विभाग जशपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ। कृपया लोकहित में स्थानीय दो समाचार पत्रों में प्रकाशन करने का कष्ट करेंगे।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पत्थलगांव, जिला -जशपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. सम्बंधित पर्यवेक्षक सेक्टर परियोजना पत्थलगांव की ओर सूचनार्थ। विज्ञापन की प्रति सम्बंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को तामिल कराकरा पावती अभिस्वीकृति परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बंधित सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत विकास खण्ड पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित। कृपया अपने पंचायत में जारी विज्ञापन के सम्बंध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें एवं ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी भी कराना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत के सूचना पटल में भी एक प्रति अनिवार्य रूप से चस्पा किया जावे।



परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)